माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. रिवीजन 16 R 4347-PBR-16

शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल ब्राहम्मण आयु85 वर्ष
धंधाखेती निवासी नाईपुराकंला तहसील चाचौडा
जिलागुनाम.प्र. ....रिवीजनकर्ता

बनाम

लीलाबाई पत्निअमरसिंह जातिगूजर निवासी
गुंजारी तहसील चाचौडाजिलागुनाम.,प्र.
....प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 भू.. रा. सं.

================================

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधि. द्वारा आज दि 26-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

873
26-12-16

माननीय न्यायालय श्रीमान नायव तहसीलदार महोदय चाचौडा के प्रकरणक्रमांक 3 अ6/16-17 पारित आदेश दिनांक 22-12-16 से दुखी होकर यह रिवीजनपत्र अन्तर्गत अन्दर अवधि नियत न्याय शुल्क सहित श्रीमानके श्रवण क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

================================

माननीय महोदय,

1: रिवीजन का संक्षिप्त विवरण इसप्रकारहैं।

(अ) यहकि माननीय न्यायालयश्रीमान नायव तहसीलदारमहोदय चाचौडा जिलागुनाके न्यायालयमे नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र लीलाबाई ने,प्रस्तुतकिया है जो,प्रकरणक्रमांक3अ6/16-17 पर दर्ज होकर विचाराधीन है और इस प्रकरणमे रिवीजनकर्ता द्वाराआपत्ति पेशकी है और रिवीजनकर्ता सहकृषक जिसका व्यवहार वाद कीअपील चल रही है और बहुत सहकृषक है उनको सुने बिना विधि कापालनकिये बिना माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने लीलाबाई प्रतिरिवीजनकर्ता के कथन लिये और लीलाबाईके कथन प्रारम्भ हुये तो रिवीजनकर्ता की ओर से लीलाबाई से,प्रतिपरीक्षण प्रारम्भ किया और दिनांक 25-2-16 को प्रतिपरीक्षण करनेके दौरान न्यायालय कासमय समाप्त हो गया तो प्रतिपरीक्षण स्थगित कियागया और प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4347–पीबीआर/2016 **जिला गुना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चाचौडा जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को अनावेदक के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है। अतः इस प्रकरण का अंतिम निराकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे आवेदक शिवनारायण को अनावेदक लीलाबाई के प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराकर प्रकरण का निराकरण करें । अध्यक्ष	